राजस्थान सरकार
भूजल विभाग

क्रमांक F. 12(5)/GWD/2015 दिनांक 17 JUN 2016

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/सचिव/
समस्त सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/
समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः– सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किए जाने बाबत।

अनियमित एवं गहन भूजल दोहन के कारण राज्य का भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। भूजल अतिदोहन के कारण संवेदनशील एवं अतिदोहित श्रेणी की पंचायत समितियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान भूजल रिपोर्ट के अनुसार कुल 295 पंचायत समितियों में से 204 पंचायत समितियां डार्क श्रेणी में वर्गीकृत है।

अतः भूजल स्त्रातों में सुधार लाने हेतु समस्त सरकारी, निजी एवं औद्योगिक भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है। इस बाबत पूर्व में अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा भी परिपत्र संख्या 28–60/सीजीडब्यूए/2011 –1302 दिनांक 06.09.2011 द्वारा दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। इस परिपत्र की पालना में राज्य सरकार के द्वारा भी एफ.12 (3)/ भूजल/2011 दिनांक 01.11.2011 को एक परिपत्र जारी किया गया। जिसके अनुसार सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करने हेतु एक्शन प्लॉन मय लागत तखमीना के तैयार कर प्रस्तुत किया जाना था।

भूजल स्तर में सुधार एवं भूजल पुनर्भरण हेतु रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही सहज एवं प्रभावी तकनीक है। पूर्व में भी राज्य भूजल विभाग के तकनीकी सहयोग से कुछ सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण किया जा चुका है। इस संरचना द्वारा वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण से भूजल स्तर में काफी सुधार पाया गया है। राजभवन जयपुर में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाए जाने के पश्चात वर्ष 2010 से 2014 तक 4 से 5 मीटर भूजल स्तर में बढोतरी दर्ज की गई है।

इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा होनें की संभवाना को देखते हुए मानसून पूर्व समस्त सरकारी भवनों में संबंधित विभाग द्वारा स्वय के स्तर पर रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी चाहिए। विभागों द्वारा उनके परिसर में पूर्व में बनी हुई संरचनाओं की मानूसन पूर्व सफाई करवायी जानी चाहिए, जिससे संरचना सही एवं प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।

नगरीय विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश संख्या एफ.55 (4)पीए/एसई/डीएलबी/10 /आरडब्यूलएच/2081 –2277 दिनांक 07.05.2010 जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी आवश्यक

626
29.6.16

LESS I

क्रमांक 533
दिनांक 30.6.16

है। अतः समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा इस आदेश परिपत्र की पालना हेतु प्रयास किए जावे एवं इस बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावे।

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा भी व्यापक रूप से भूजल का दोहन कर उपयोग किया जा रहा है। अतः औद्योगिक इकाईयों द्वारा भी उनके उद्योग परिसर में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी चाहिए।

राज्य भूजल विभाग की भूजल कृत्रिम पुनर्भरण एवं रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक में विशेषता है। अतः भूजल विभाग समस्त सरकारी विभागों को एवं सरकारी विभाग/निकायो को एवं अन्य सभी को उनकी मांग पर रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाये जाने हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवायगा।

यह परिपत्र पूर्व मे जारी समस्त परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

(जे.सी.महान्ति)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री महोदया, जन स्वा. अभि. एवं भूजल विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग (समस्त) को भेजकर लेख है कि जिला कलेक्टर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में चर्चा कर, अनुमोदन के बाद आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

शासन सचिव,
भूजल विभाग

राजस्थान-सरकार,
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान अजमेर

क्रमांकः प.3/सामा-3/भवन/विविध/16-17/ 17911 दिनांकः 11-8-16

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग, राजस्थान-सरकार जयपुर
2- समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग,राजस्थान ।
3- व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएं, अजमेर ।
4- प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर ।
5- सहायक निदेशक (कार्यालयाध्यक्ष) निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर ।
6- समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी आयुर्वेद विभाग, राजस्थान ।
7- समस्त प्रभारी अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान ।
8- प्रभारी चल चिकित्सा इकाई अजमेर ।
9- सहायक प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को देकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करावे।

कम संख्या 2 से 8 को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशो की अक्षरशः पालना की जावे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे।

(रामेश्वर प्रसाद शर्मा)
उप निदेशक